


फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अदालत (पञ्जाब)
राजकिशोर बनाम रामनारायण
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 125/2019

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/11/19	पत्रावली पेश हुई। <u>वकील उपपक्ष उपपक्ष</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जवाब... दिनांक <u>21/11/19</u> को पेश। उपखण्ड अदालत जमदारामगढ़
	21/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उपपक्ष उपपक्ष वकील पक्ष ने संबोधित जवाब पेश किया जिसकी प्रति अज्ञापक वकील को दिला गई। अज्ञापक को 31, 32, 33, 4, 7 की को से एडो और राजेश पारीड उपनिषत्। एडो पारीड पत्रावली पेश करें जो अज्ञापक को 2, 5, 6, 8, 9 के पारीड पुनः अज्ञापक पेश करें पत्रावली वास्तु तलबी व पत्रावली हेतु दिनांक 23/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अदालत जमदारामगढ़
	31/12/19	मूलवाद रज 177/2019 राजकिशोर बनाम रामनारायण पिछा का प्रमाण पत्र पेश हो पर पत्रावली का पत्र पेश हुई प्रमाण राजकिशोर एवं उपनिषत् उरी वारी रामनारायण उपनिषत्। इत को की पहचान इतके अज्ञापक ने की। मूल वाद को पिछा कर खरीप किया गया है। इस प्रमाण का का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए अज्ञापक पत्र


 21/12/19
 A.D. C
 21/12/19

फर्द अहकाम

मालय उमरकण्ड अधिकाारी जयवराजगड (प्रपत्र)
 बनाम रामनाथ वणे
 दमा संख्या / वर्ष : 128 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p> उमरकण्ड ग्राम 212 RT Act का कोई कोचिंग नहीं है इसीलिए उक्त जाफान पर खसिया किया जाता है पत्रपत्नी को जल शुद्ध होकर गहर से निकाले जाने वाले कारिल स्फुर हो </p>	<p style="text-align: right;">  उमरकण्ड अधिकाारी जयवराजगड </p>

